

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(26)नविवि /ा / 2021

जयपुर, दिनांक: - 6 OCT 2021


अनापत्ति प्रमाण—पत्र

श्री सूर्यकात वर्मा, उप नगर नियोजक, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक(मुख्यालय) का चयन गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित “एडीशनल चीफ टाउन प्लानर, व्हास-” के पद पर हो जाने के फलस्वरूप साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती हैं।

1. साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक भार वहन नहीं किया जाएगा।
2. साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवाने के पश्चात् ही प्रस्थान करेंगे।
3. साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होने से किसी प्रकार से भी राजकार्य बाधित नहीं होने देंगे।
4. साक्षात्कार प्रक्रिया में चयन होने उपरांत नियमानुसार कार्यमुक्त होने के पश्चात् ही प्रस्थान करेंगे।
5. सम्पूर्ण प्रक्रिया में राज्य सरकार से किसी प्रकार के अन्य परिलाभ की मांग नहीं करेंगे।
6. सम्पूर्ण प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा प्रदल्ल आदेशों/निर्देशों की पूर्ण पालना स्वयं के द्वारा पर सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आङ्गा से,


6/10/2021

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ लेप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. संबंधित अधिकारी।
5. राजीत पत्रालेख।

11

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय